संख्या-4/2015/600एस0सी0/18-2-2015-18/2014

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2015

विषयः- उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 एवं उसकी सहायक कम्पनियों के अधीन बन्द 04 चीनी मिलों (महोली, बुढवल, छाता एवं नन्दगंज) को इन्टीग्रेटेड कॉम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु दीर्घकालीन लीज पर निजी निवेशकर्ता/विकासकर्ता को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-एफए/एसएससी/लीज/1364 दिनांक 26-02-14 तथा पत्र संख्या-एफए/एसएससी/लीज/116 दिनांक 11 मई, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 के अधीन 04 बन्द चीनी मिलों को दीर्घकालीन लीज पर निजी निवेशकर्ता/विकासकर्ता को दिये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2- उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया और यह पाया गया कि चीनी उद्योग के वर्तमान परिवेश में चीनी मिलों को एकल रूप के बजाय इन्टीग्रेटेड काम्पलेक्स यथा चीनी मिल, आसवनी, को-जन प्लान्ट आदि के रूप में चलाना लाभप्रद है। चूँकि गन्ना, प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है, अतः ऐसे क्षेत्रों में जहाँ चीनी मिलें हानि में संचालित हैं अथवा बन्द हो गयी हैं वहाँ किसानों की समृद्धि एवं प्रदेश के विकास के उद्देश्य से उन चीनी मिलों को इन्टीग्रेटेड काम्पलेक्स के रूप में चलाये जाने की आवश्यकता तथा सम्प्रति निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि को उपयोगी बनाने, निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन करने, व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, गन्ना किसानों के उत्थान और अन्ततः संबंधित क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के दृष्टिगत सर्वप्रथम 10 बन्द चीनी मिलों में से प्रथम चरण में 04 चीनी मिलों यथा महोली, (जनपद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सीतापुर), बुढवल (जनपद बाराबंकी), छाता (जनपद मथुरा) तथा नन्दगंज (जनपद गाजीपुर) की भूमि को दीर्घकालीन लीज पर इन्टीग्रेटेड काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशक/विकासकर्ता को पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक बिड प्रक्रिया अपनाते हुए उपलब्ध कराने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- निजी निवेशक/विकासकर्ता द्वारा लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विकसित इन्टीग्रेटेड की समस्त परिसम्पत्तियाँ यथा-भूमि, भवन, प्लाट व मशीनरी आदि निगम को भार/बंधक रहित "जहाँ है जैसे है" के आधार पर On going concern के रूप में चीनी निगम को वापस की जायेगी।

4- महोली चीनी मिल को लीज पर दिए जाने के संबंध में समस्त कार्यवाई मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं यथा-2394/1985 व 2528/2003 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5- कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाई सुनिश्चित करते हुए समय-समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2015/600(1)एस0सी0/18-2-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ0प्र0।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
8- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।